न्यायालय् सिविल जज (जू0/डि0), अतर्रा बांदा

मूलवाद संख्या–51/2007

बालकृष्ण बनाम राजकरन आदि

दिनांक–10.02.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली आज निस्तारण प्रार्थनापत्र 71क2 हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या 71क2

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं0 71क2 मय शपथपत्र 72ग2 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त वाद में प्रार्थीगण प्रतिवादी सं0 3 कलुवा के विधिक वारिसान है, जो कि पहले से ही पक्षकार मुकदमा है, प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त में 6ग2 प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 जाफ्ता दीवानी के अन्तर्गत न्यायालय में प्रसतुत किया गया था, इसी बीच दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 3 की मृत्यु हो गयी है, जिससे प्रार्थनापत्र में मृतक कलुवा के सामने दौरान मुकदमा फौत लिखे जाने की अनुमति चाही गयी है। कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी सं0 3 कलुवा की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गयी है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वाद की कार्यवाही मृतक के विधिक वारिसानों/आश्रितों पर ही जीवित होती है, चूंकि मृतक के विधिक वारिसान पहले से ही पक्षकार मुकदमा हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के आधार पर मृतक प्रतिवादी सं0 3 कलुवा के सामने दौरान मुकदमा फौत लिखकर संशोधन करना मात्र एक औपचारिक प्रकृति है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 71क2 स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र 71क2 स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण वादपत्र 4क1 व अन्य प्रार्थनापत्र में वांछित संशोधन अन्दर पन्द्रह दिवस करें। बाद संशोधन पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 01.05.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा ।